331/2021

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[…]0/9/2022 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 10 व 14 से 16 एवं विप्रार्थी संख्या 12 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थी एकतरफा। प्रार्थनापत्र अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि के पक्षकारान रिकार्डेड खातेदारान है और रिकार्डेड खातेदारान को स्थगन आदेश से बाध्य नहीं किया जा सकता है। मूलवाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है, जिसमें बंटवारा प्रस्ताव मांगने के आदेश जारी हो गए है। ऐसी सूरत में हस्तगत प्रकरण में स्थगन जारी करने का कोई औचित्य नहीं है और न ही प्रार्थी स्थगन आदेश जारी करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन-पत्र निरस्त योग्य है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	